



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 201-2017/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, NOVEMBER 17, 2017 (KARTIKA 25, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 17 नवम्बर, 2017

संख्या 127/एसटी-2.— हरियाणा माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 168 के साथ पठित हरियाणा माल और सेवाकर नियम, 2017 के नियम 61 के उपनियम (5), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, राज्य कर आयुक्त, हरियाणा, यह विनिर्दिष्ट करते हैं कि नीचे दी गई सारणी के खाना (2) में यथाविनिर्दिष्ट मास के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी उक्त सारणी के खाना (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट अंतिम तारीख को या उसके पूर्व सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत की जाएगी, अर्थात् :-

सारणी

क्रम संख्या	मास	प्ररूप जीएसटीआर-38 में विवरणी फाइल करने के लिए अन्तिम तारीख
(1)	(2)	(3)
1.	जनवरी, 2018	20 फरवरी, 2018
2.	फरवरी, 2018	20 मार्च, 2018
3.	मार्च, 2018	20 अप्रैल, 2018

1- प्ररूप-जीएसटीआर-3ख के अनुसार कर दायित्व के उन्मोचन के लिए करों का संदाय: प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 49 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उक्त अधिनियम के अधीन संदेय कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य राशि के लिए अपने दायित्व का, उक्त सारणी के खाना (3) में यथा उल्लिखित अन्तिम तारीख, जिसको उससे उक्त विवरणी प्रस्तुत करने कर अपेक्षा की जाती है, से अपश्चात्, यथास्थिति, इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता या इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता से विकलित करके उन्मोचन करेगा।

आशिमा बराड़,
आबकारी तथा कराधान आयुक्त-कम-राज्य
कर आयुक्त, हरियाणा।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 17th November, 2017

No. 127/ST-2.— In exercise of the powers conferred by section 168 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) read with sub-rule (5) of rule 61 of the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, the Commissioner of State Tax, on the recommendations of the Council, hereby specifies that the return in **FORM GSTR-3B** for the month as specified in column (2) of the Table shall be furnished electronically through the common portal, on or before the last date as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

Table

SI No.	Month	Last date for filing of return in FORM GSTR-3B
(1)	(2)	(3)
1.	January, 2018	20th February, 2018
2.	February, 2018	20th March, 2018
3.	March, 2018	20th April, 2018

2. **Payment of taxes for discharge of tax liability as per FORM GSTR-3B:** Every registered person furnishing the return in **FORM GSTR-3B** shall, subject to the provisions of section 49 of the said Act, discharge his liability towards tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under the said Act by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger, as the case may be, not later than the last date, as mentioned in column (3) of the said Table, on which he is required to furnish the said return.

ASHIMA BRAR,
Excise and Taxation Commissioner-cum-
Commissioner of State Tax, Haryana.